**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1191**
**(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

## डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत हुई प्रगति

**1191. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:**
**श्री राधेश्याम राठिया:**
**श्री कंवर सिंह तंवर :**
**श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:**
**श्री जुगल किशोर:**
**श्रीमती पूनमबेन माडम:**
**श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत हुई प्रगति और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना देश में ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में लाभदायक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन मानदण्डों अथवा संकेतकों के आधार पर उक्त योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है;

(घ) क्या उक्त योजना की सामग्री/वास्तविक/वित्तीय के संबंध में हुई प्रगति को पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न राज्यों में उक्त योजना किस हद तक लाभकारी सिद्ध हुई है और राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करने की योजना बना रही है या उपाय किया है कि बैंक शाखा के अधिकारी ऋण के लिए आवेदन करने वाली ग्रामीण महिलाओं की सहायता करने के लिए सुविधा से युक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)**

**(क) और (ख):** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उनका निरंतर क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करना है ताकि एक निश्चित समय अवधि के दौरान उनकी आय

में उचित वृद्धि हो और उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार हो। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत प्रगति और उपलब्धियां **अनुबंध-I** पर दी गई हैं।

**(ग):** प्रमुख निष्पादन संकेतक जिनके आधार पर डीएवाई-एनआरएलएम का मूल्यांकन किया जाता है, **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

**(घ) और (ङ):** जी, हाँ। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्यवार, जिलावार और ब्लॉकवार वास्तविक और वित्तीय प्रगति नियमित रूप से अद्यतन की जाती है और डीएवाई-एनआरएलएम पोर्टल (http://nrlm.gov.in) पर उपलब्ध है। डीएवाई-एनआरएलएम ने आत्मनिर्भरता और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लखपति दीदी डीएवाई-एनआरएलएम का ही परिणाम है। एसएचजी महिलाओं को लखपति बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी वे स्थायी आधार पर न्यूनतम एक लाख रुपये वार्षिक आय अर्जित करती हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत शुरुआत से लेकर अक्टूबर 2024 तक की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति **अनुबंध- III** में दी गई है।

**(च):** बैंक अधिकारियों को महिला एसएचजी बैंक लिंकेज योजनाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण/ओरिएंटेशन प्रदान किया जाता है, जिसमें कार्यस्थल दौरे भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 48,588 बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षण/ ओरिएंटेशन प्रदान किया गया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 से अक्टूबर, 2024 तक 46,033 बैंक अधिकारियों को ओरिएंटेशन/प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

*****

**अनुबंध-।**

**"डीएवाई-एनआरएलएम की प्रगति" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

| क्र.स. | संकेतक | अक्टूबर 2024 तक संचयी उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1. | स्वयं सहायता समूहों में शामिल परिवारों की संख्या (करोड़ में) | 10.05 |
| 2. | संगठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख में) | 90.87 |
| 3. | संगठित ग्राम संगठनों की संख्या | 5,96,375 |
| 4. | संगठित क्लस्टर स्तरीय संघों की संख्या | 32,439 |
| 5. | स्वयं सहायता समूहों को पूंजीगत सहायता (करोड़ रुपए में) | 47,685 |
| 6. | संवितरित बैंक ऋण (करोड़ रुपए में) | 9,69,140.17 |
| 7. | गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां % (एनपीए) | 1.59 |
| 8. | बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट/डिजी पे सखी | 1,33,000 |

**अनुबंध-॥**

**"डीएवाई-एनआरएलएम की प्रगति" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

| **मुख्य निष्पादन संकेतक** |
|---|
| **संगठित परिवारों और प्रोत्साहित किए गए सीबीओ** |
| बचत बैंक खाते वाले स्वयं सहायता समूह |
| प्रोत्साहित किए गए ग्राम संगठन |
| गठित क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन (सीएलएफ) |
| **स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निधि** |
| स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई परिक्रामी निधि (आर.एफ.) |
| स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई परिक्रामी निधि की राशि |
| स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) |
| स्वयं सहायता समूहों को जारी की गई सीआईएफ की राशि |
| **कृषि आजीविकाएं** |
| महिला किसानों को कृषि-पारिस्थितिक पद्धति कार्यकलाप के अंतर्गत शामिल करना |
| महिला किसानों को पशुधन कार्यकलाप के अंतर्गत शामिल करना |
| महिला किसानों को उप-क्षेत्र (सभी उप-क्षेत्रों सहित) समूहों के अंतर्गत शामिल करना |
| कृषि-पोषण उद्यान वाले महिला किसान परिवार |

| |
|---|
| कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना |
| उत्पादक समूहों को बढ़ावा देना |
| महिला उत्पादकों को उत्पादक समूह के अंतर्गत शामिल करना |
| महिला उत्पादकों को उत्पादक उद्यम के अंतर्गत शामिल करना |
| **गैर-कृषि आजीविकाएं** |
| स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के तहत उद्यम |
| सूक्ष्म उद्यम विकास के अंतर्गत उद्यम |
| वन स्टॉप सुविधा के अंतर्गत उद्यम |
| कुल कारीगर |
| आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत वाहन |
| **वित्तीय समावेशन** |
| कुल एसएचजी का क्रेडिट लिंक्ड प्रतिशत |
| बीसी एजेंट/डिजी पे के रूप में काम करने वाले एसएचजी सदस्य |
| 250 से अधिक लेनदेन/माह वाली बीसी सखी |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना-जीवन बीमा के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कवर करना |
| स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत आर्थिक कार्यकलापों के लिए वित्तपोषित करना |
| सक्षम केंद्र की स्थापना |

**अनुबंध- III**

**"डीएवाई-एनआरएलएम की प्रगति" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

| राज्य | जिले | ब्लाक | स्वयं सहायता समूहों की संख्या | परिवारों की संख्या | आरएफ प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या | आरएफ राशि (लाख में) | सीआईएफ प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या | सीआईएफ राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3 | 9 | 1294 | 13194 | 905 | 135.9 | 174 | 87 |
| आंध्र प्रदेश | 26 | 660 | 855600 | 9075289 | 12 | 1.4 | 68 | 53.65 |
| अरुणाचल प्रदेश | 25 | 123 | 11730 | 91964 | 9070 | 2043.95 | 2604 | 3115.76 |
| असम | 35 | 219 | 361516 | 4111020 | 273956 | 55484.98 | 165574 | 85221.15 |
| बिहार | 38 | 534 | 1097100 | 12713428 | 762531 | 113610.8 | 523159 | 166151.3 |
| छत्तीसगढ़ | 33 | 146 | 276375 | 3068427 | 215143 | 33112.35 | 63280 | 39324.2 |
| दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव | 3 | 3 | 1645 | 16674 | 893 | 157.26 | 126 | 169.5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गोवा | 2 | 12 | 3891 | 50735 | 3456 | 828.04 | 1112 | 662.91 |
| गुजरात | 33 | 248 | 279758 | 2783006 | 217189 | 23816.04 | 60559 | 41991.01 |
| हरियाणा | 22 | 143 | 60301 | 629094 | 52256 | 6619.19 | 32601 | 16230.3 |
| हिमाचल प्रदेश | 12 | 90 | 45295 | 378542 | 34261 | 6607.81 | 10028 | 5091.81 |
| जम्मू और कश्मीर | 20 | 285 | 91445 | 797805 | 65314 | 9797.74 | 53439 | 21643.84 |
| झारखंड | 24 | 263 | 291601 | 3589607 | 248634 | 37901.85 | 178655 | 75640.23 |
| कर्नाटक | 31 | 233 | 360684 | 4207374 | 17221 | 2394.73 | 77137 | 74763.17 |
| केरल | 14 | 152 | 271209 | 4002478 | 31021 | 4726.65 | 62 | 30.2 |
| लद्दाख | 2 | 31 | 1736 | 12180 | 1120 | 263.65 | 178 | 71.2 |
| लक्षद्वीप | 1 | 10 | 348 | 4363 | 163 | 24.45 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 52 | 313 | 487291 | 5829972 | 374998 | 55854.69 | 155717 | 122786.2 |
| महाराष्ट्र | 34 | 351 | 640719 | 6525549 | 505303 | 82014.89 | 127517 | 74220.42 |
| मणिपुर | 16 | 55 | 11538 | 117457 | 8734 | 2074.5 | 2361 | 2486.17 |
| मेघालय | 12 | 46 | 45312 | 444264 | 42217 | 6426.03 | 13705 | 9814.08 |
| मिजोरम | 11 | 28 | 10291 | 85934 | 9583 | 1649.45 | 9748 | 11581.6 |
| नागालैंड | 11 | 74 | 15419 | 135261 | 14008 | 2198.4 | 8695 | 5071.73 |
| ओडिशा | 30 | 314 | 548817 | 5757107 | 352445 | 54853.05 | 253178 | 140021 |
| पुदुचेरी | 2 | 3 | 4744 | 59714 | 3695 | 792.35 | 2664 | 1039.46 |
| पंजाब | 23 | 153 | 52118 | 543246 | 36111 | 6305.07 | 9177 | 4127 |
| राजस्थान | 33 | 353 | 321875 | 3804161 | 220349 | 33076.5 | 126800 | 132396.2 |
| सिक्किम | 6 | 34 | 5915 | 56675 | 5341 | 974.31 | 4839 | 4614.79 |
| तमिलनाडु | 37 | 388 | 336764 | 4023939 | 244700 | 35038.99 | 230617 | 191150.2 |
| तेलंगाना | 32 | 541 | 442979 | 4820573 | 0 | 0 | 106 | 53.55 |
| त्रिपुरा | 8 | 58 | 51841 | 494675 | 47573 | 9061.9 | 45006 | 57339.76 |
| उत्तर प्रदेश | 75 | 826 | 841901 | 9507884 | 686420 | 107732.7 | 519797 | 575035.1 |
| उत्तराखंड | 13 | 95 | 65840 | 497777 | 51971 | 7112.77 | 37083 | 24798.39 |
| पश्चिम बंगाल | 23 | 345 | 1192980 | 12251533 | 824749 | 137792.1 | 304910 | 175828.3 |
| **कुल:** | **742** | **7138** | **9087872** | **100500901** | **5361342** | **840484.50** | **3020676** | **2062611.20** |